

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 462326

लिहाजा निसबत आराजी मुबैया अगर कोई शख्स किसी किस्म पर दावेदार हो या दाखिल खारिज में कोई दिक्कत पेश आये या बेची गई आराजी कुल या जुज कब्जे खरीदारान से निकल जाये तो उसकी तमाम जिम्मेदारी वापसी जरे समन मय हर्ज खर्च के देनदारी मेरी व मेरे वारिसान की होगी। लिहाजा यह बैनामा लिखा दिया कि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आये।

बिक्रित आराजी का विवरण :-

वाके **ग्राम जयनगर तहसील गदरपुर** जिला उधमसिंह नगर का खतौनी नं० 00002 खसरा नं० 128 मध्ये रकबा 0.405 हे० **में से कुल रकबा 2626 वर्ग फुट यानि 244.05 वर्ग मीटर बेची है** जो पैमाइशी पूरब की बाजू पचास फुट। पश्चिम की बाजू इक्यावन फुट। उत्तर की बाजू बावन फुट। दक्षिण की बाजू बावन फुट है जिसकी चौहद्दी पूरब में आराजी विक्रेता की। पश्चिम में आराजी विक्रेता की। उत्तर में रास्ता। दक्षिण में रास्ता तेईस फुट चौड़ा है।

1600/-

670
667

उपकोषागार-खाजनपुर
(किशन सिंह नगर) जयपुर
क्र०सं०.....
10 OCT 2012
लेखाकार
(रोकड़)
उपकोषाधिकारी
कोड 7902



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 462327

बिक्रित आराजी में कोई निर्माण, पेड़, बोरिंग आदि नहीं है तथा आराजी सीलिंग से प्रभावित नहीं है। बिक्रित आराजी दिनेशपुर-मटकोटा मार्ग से 100 मीटर से अधिक दूर स्थित है। बिक्रित भूमि **अर्द्धनगरीय क्षेत्र** स्थित **प्लाट** है जिस पर कलेक्टर द्वारा सड़क से 100 मीटर से अधिक दूरी की निर्धारित दर मु० 4,000/- रूपये प्रति वर्ग मीटर से सही एवं पूर्ण स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। विक्रेता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं। क्रेतागण उत्तराखण्ड में प्रथम बार भूमि क्रय कर रहे हैं। भूमि संशोधन अधिनियम की किसी भी धारा/उपधारा का उल्लंघन नहीं हुआ है। भूमि के अन्तरण पर किसी भी सक्षम न्यायालय/ कार्यालय द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा है। क्रय की गई आराजी में क्रेतागण बराबर-बराबर के हिस्सेदार हैं। क्रेता व विक्रेता ने फार्म संख्या 60 भरा है। तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत है, जो वैध है। क्रेता एवं विक्रेता भारत के नागरिक हैं एवं दोंनों ने एक-दूसरे की पहचान सुनिश्चित कर ली है।

1000/-

671
667

उपकोषागार-दारानगर
(कुथम सिंह नगर) उत्तराखण्ड
क्र०सं०.....
10 OCT 2012
लेखाकार (सेवड़) | उपकोषाधिकारी कोड-7502



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 462328

दिनांक 10-10-2012 को संजय मित्तल, दस्तावेज लेखक, बाजपुर द्वारा लिपिबद्ध कर टाइप किया गया।

गवाह :- श्री अरविन्द मणि पुत्र श्री कृष्ण कन्हैया मणि
निवासी आवास विकास कालोनी, रूद्रपुर तहसील किच्छा।

गवाह :- श्री सुभाषचन्द अग्रवाल पुत्र श्री सोहनलाल
निवासी आलापुर, बाजपुर तहसील बाजपुर।

दस्तावेज लेखक का नाम संजय मित्तल
अनुज्ञप्ति संख्या 7 दिनांक 31/3/15 तक विधिमान्य
जिला और स्थान बाजपुर, ऊधम सिंह नगर
की गई क 207 द० ले० के हस्ताक्षर


उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड विशेष मजिस्ट्रेट)
10 OCT 2012
शेखावाटी
(सीकर)
उपखण्ड अधिकारी
कोड-7502

1000

672

662



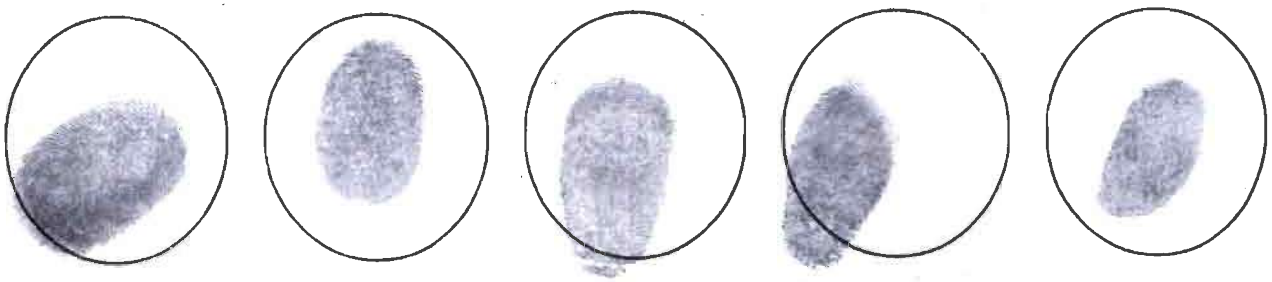
रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्टस्

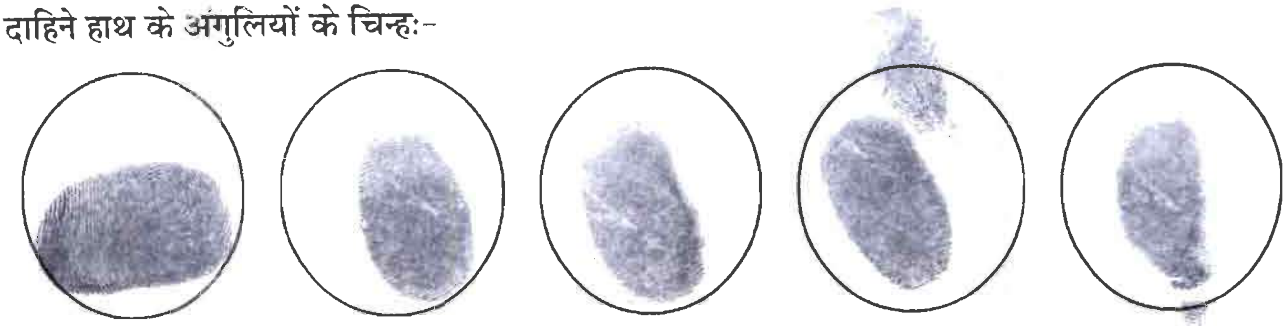
प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता का नाम व पता:- रजनीश कुमार जोशी S/o. मनोहर जोशी

नि० जयनगर तह० गंगर ज़ूर

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्हः-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्हः-



प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता:-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्हः-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्हः-

आज दिनांक 10-Oct-2012 2:30 pm को बही न0 1 इलैक्ट्रोस्टेट जिल्द न0 1,395
के पृष्ठ 301 से 316 में नम्बर 9,022 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक बाजपुर
10-10-2012